



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, वाराणसी

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

(गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चन्दौली, सन्तरविदास नगर)

संदर्भ सं०

Ref. 1/ 21031101-15-16

दिनांक

Date. 01-04-16

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)

कृते जिला मजिस्ट्रेट,

जौनपुर।

- विषय:- मेसर्स एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा खसरा नं०-702, ग्रा०-निजामपुर, थाना-शाहगंज, तहसील-शाहगंज, जनपद-जौनपुर पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) हेतु प्रेषित अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने पत्र संख्या 85 (5)/व०श०लि०-जौनपुर दिनांक-04 फरवरी, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से मेसर्स एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा खसरा नं०-702, ग्रा०-निजामपुर, थाना-शाहगंज, तहसील-शाहगंज, जनपद-जौनपुर पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु स्पष्ट अभिमत की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बंध में अवगत कराना है कि परिक्षणोंपरांत यह पाया गया कि मेसर्स एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा खसरा नं०-702, ग्रा०-निजामपुर, थाना-शाहगंज, तहसील-शाहगंज, जनपद-जौनपुर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) पर 20 के०एल० क्षमता का एक भूमिगत टैंक क्लास "ए" पेट्रोलियम प्रोडक्ट (एम.एस.) तथा 30 के०एल० क्षमता का एक भूमिगत टैंक क्लास "बी" पेट्रोलियम प्रोडक्ट (एच०एस०डी०) के भण्डारण की स्थापना के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है। बशर्ते कि परिसंकटमय रसायन (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 की उपविधियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। परिसर से प्रदूषित उत्प्रवाह का निस्तारण नहीं होगा तथा जनरेटर पर एकास्टिक इनक्लोजर की व्यवस्था की जायेगी। उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य वांछित अनुमतियों को नहीं प्रभावित करेगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(Signature)
(घनश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी